

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 18 / 2022

दायर दिनांक 11.02.2022

उनवान		
चंदा देवी	बनाम	सरकार

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 7 जा0 दी0 :-

निर्णय दिनांक: 20.12.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया व् पैरोकार सरकार हाजिर । पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया । बहस उभयपक्ष सुनी गयी । दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया की न्यायालय के प्रकरण संख्या 63/2010 सुनवाई हेतु दिनांक 31.01.2018 को नियत थी । प्रार्थीया बेरोज पेशी नौकरी पर होने से उपस्थित नहीं हो पायी तथा वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया की में भी स्वयं अन्य गाँव होने से नहीं आ पाया । प्रार्थीया अधिवक्ता ने निवेदन किया की मामला जायदाद से सम्बंधित है तथा प्रार्थीया विधवा महिला है तथा घर में कमाना वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । अतः उक्त प्रकरण पुनः नंबर पर लिया जाकर मेरिट पर निस्तारण किये जाने का आदेश फरमावे। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया । मूल वाद पुनः नंबर पर लिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 63/2010 चम्पा बनाम सरकार पुनः नंबर पर लिया जाता है । प्रार्थना पत्र 18/2022 मूल वाद के साथ सलंग्न रहे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । आदेश सुनाया गया ।




(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन